


23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक प्रांय प्रस्तुत कर प्रार्थी सं०। से कारिसात के खिलाफ पुनः कारवाही कर पत्रावली पेश करने का इच्छिका सुरक्षित रावते हुए प्रकाश को सिद्धो होने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रांय स्वीकार किया जाता है। प्रांय नोट प्रैस में रखा जा सकता है। इतः पत्रावली फांल शुका होकर तर्क से कम हो एवं बाद तकमील जाता दाखिल दफ्तर हो।


 (एल० एन० कुडी)
 जिला कलेक्टर सुन्डुबू

